आय घोषणा योजना, 2016 पर स्पष्टीकरण

परिपत्र संख्या 27/2016 [एफ.सं.142/8/2016-टीपीएल], दिनांक 14-7-2016

आय घोषणा योजना, 2016 (जिसे आगे 'योजना' कहा जाएगा) 1 जून, 2016 को प्रभावी हुई। हितधारकों द्वारा उठाए गए संदेहों और चिंताओं को दूर करने के लिए, बोर्ड ने 2016 के परिपत्र संख्या 17, 24 और 25 के माध्यम से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के तीन सेट जारी किए हैं। योजना से संबंधित जनता से प्राप्त आगे के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं: -

प्रश्न सं.1 :	क्या योजना के अंतर्गत की गई *घोषणा* को योजना समाप्ति की तिथि अर्थात् 30.09.2016 से पहले संशोधित किया जा सकता है?
उत्तर:	यह अपेक्षा की जाती है कि योजना के अंतर्गत की गई घोषणाएँ सही ढंग से दाखिल की जाएँ। हालाँकि, संशोधित घोषणा योजना के बंद होने की तिथि को या उससे पहले दाखिल की जा सकती है, बशर्ते संशोधित घोषणा में अघोषित आय पहले से दाखिल घोषणा में घोषित अघोषित आय से कम न हो।
प्रश्न सं.2:	यदि किसी परिसंपत्ति या अन्य रूप में दर्शाई गई अघोषित आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के तहत अनुमत समय सीमा से परे आने वाले वर्ष से संबंधित है और उक्त अघोषित आय योजना के तहत घोषित नहीं की गई है, तो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197 (सी) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अघोषित आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया है। उक्त प्रावधान आयकर अधिनियम के तहत किसी मामले को फिर से खोलने के लिए प्रदान की गई मौजूदा समय-सीमा के साथ असंगत है। कृपया स्पष्ट करें?
उत्तर:	2016 के परिपत्र संख्या 24 के प्रश्न संख्या 4 का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां ऐसी आय के कर उपचार को स्पष्ट किया गया है। चूंकि वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX में निहित योजना समय के अनुसार एक बाद का कानून है, इसलिए योजना के प्रावधान पहले के कानूनों के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे।
प्रश्न सं.3:	योजना के अंतर्गत नकदी, निवेश आदि के संबंध में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप बैलेंस शीट में पूंजी में असाधारण वृद्धि होगी। क्या इस कारण से घोषणाकर्ताओं के ऐसे मामलों को सीएएसएस के अंतर्गत जांच के लिए चुना जाएगा?
उत्तर:	घोषणाकर्ता के मामलों को केवल इस आधार पर सीएएसएस के अंतर्गत जांच के लिए नहीं चुना जाएगा कि योजना के अंतर्गत की गई घोषणा के परिणामस्वरूप बैलेंस शीट में पूंजी में वृद्धि हुई है।
प्रश्न सं.4:	ऐसे मामले में जहां घोषणाकर्ता बेनामीदार को किसी भी मौद्रिक प्रतिफल का भुगतान किए बिना बेनामी परिसंपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित करा लेता है, क्या ऐसे स्थानांतरण के परिणामस्वरूप बेनामीदार के हाथों में पूंजीगत लाभ प्रभार्य होगा और क्या ऐसे मामले में 1% की दर से स्रोत पर कर काटा जाएगा?
उत्तर:	इस मामले में बेनामी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लाभकारी स्वामी द्वारा पहले ही प्रतिफल का भुगतान किया जा चुका है और योजना के तहत लाभकारी स्वामी द्वारा संपत्ति का उचित बाजार मूल्य घोषित किया गया है। चूंकि, बेनामीदार से लाभकारी स्वामी को संपत्ति का हस्तांतरण केवल नियमित करने के लिए है और घोषणाकर्ता के नाम पर

	बेनामीदार द्वारा अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कोई मौद्रिक प्रतिफल शामिल नहीं होगा, इसलिए बेनामीदार के हाथों में पूंजीगत लाभ और उस पर स्रोत पर कर की कटौती का सवाल ही नहीं उठता।
प्रश्न सं.5 :	किस प्रावधान के तहत घोषणाकर्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि वैध घोषणा में निहित जानकारी किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ साझा नहीं की जाएगी और जांच के लिए आयकर विभाग के साथ भी साझा नहीं की जाएगी?
उत्तर:	अधिनियम की धारा 195 में प्रावधान है कि आयकर अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान योजना के तहत कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे। अधिसूचना एस.ओ. 2322 (ई) दिनांक 06.07.2016 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी लोक सेवक किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज या रिकॉर्ड या कोई सूचना या कम्प्यूटरीकृत डेटा या उसका कोई भाग प्रस्तुत नहीं करेगा जो योजना के तहत की गई वैध घोषणा के संबंध में आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके पास आता है।
प्रश्न सं.6 :	परिपत्र संख्या 25/2016 के तहत जारी प्रश्न संख्या 5 के संदर्भ में, जिसमें यह कहा गया है कि विभाग आय के स्रोतों, कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के संबंध में कोई जांच नहीं करेगा, यह स्पष्ट किया जाए कि क्या योजना के तहत भुगतान अघोषित आय में से उसे घोषित आय में शामिल किए बिना किया जा सकता है, जिससे योजना के तहत देय कर, अधिभार और जुर्माने की प्रभावी दर लगभग 31 प्रतिशत तक कम हो जाएगी?
उत्तर:	यह स्पष्ट किया जाता है कि 2016 के परिपत्र संख्या 25 के प्रश्न संख्या 5 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण का उद्देश्य विभाग द्वारा जांच करने तक सीमित था। इसका किसी भी तरह से योजना के तहत देय कर, अधिभार और दंड की दर को संशोधित या बदलने का इरादा नहीं है, जिसे योजना में ही स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 184 और 185 में स्पष्ट रूप से अघोषित आय के 45 प्रतिशत की दर से कर, अधिभार और दंड के भुगतान का प्रावधान है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है – किसी मामले में कोई व्यक्ति 100 लाख रुपए की अघोषित आय घोषित करता है, जो 1 जून, 2016 को अघोषित अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य है और अपनी अन्य अघोषित आय में से 45 लाख रुपए (30 लाख + 7.5 लाख + 7.5 लाख) का कर, अधिभार और जुर्माना अदा करता है। इस मामले में घोषणाकर्ता को कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के लिए उपयोग की गई 45 लाख रुपए की अघोषित आय के संबंध में योजना के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन योजना के तहत दायर घोषणा में शामिल नहीं है। योजना के अंतर्गत 145 लाख रुपये की सम्पूर्ण अघोषित आय के संबंध में उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए, घोषणाकर्ता को 145 लाख रुपये की अघोषित आय (100 लाख रुपये अचल संपत्ति द्वारा दर्शाई गई अघोषित आय तथा 45 लाख रुपये अघोषित आय से किया गया भुगतान) घोषित करनी होगी तथा योजना के अंतर्गत 65.25 लाख रुपये की राशि का कर, अधिभार तथा जुर्माना अदा करना होगा, जो 145 लाख रुपये का 45 प्रतिशत है।

प्रश्न सं.7 :	क्या योजना के अंतर्गत घोषणाकर्ता के लिए फॉर्म-3 दाखिल करने हेतु कोई समय सीमा है?
उत्तर:	वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187(2) के अनुसार, फॉर्म-3 दाखिल करने की समय-सीमा योजना के तहत कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के लिए अधिसूचित समय-सीमा के समान है।
प्रश्न सं.8 :	क्या कंपनी या साझेदारी फर्म द्वारा योजना के अंतर्गत घोषित अघोषित आय के संबंध में कंपनी के निदेशकों या फर्म के साझेदारों को अभियोजन आरंभ करने से छूट उपलब्ध होगी?
उत्तर:	हां, कंपनी या साझेदारी फर्म द्वारा योजना के अंतर्गत घोषित अघोषित आय के संबंध में निदेशकों या साझेदारों को, जैसा भी मामला हो, प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी।
प्रश्न सं.9 :	क्या अपने पति/पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति में निवेश के रूप में अघोषित आय रखने वाला व्यक्ति अपने नाम पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य घोषित कर सकता है, यदि उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए धनराशि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई हो?
उत्तर:	हां
प्रश्न सं.10 :	आय घोषणा योजना नियम, 2016 के नियम 3(1)(सी)(आई) में उद्धृत शेयरों और प्रतिभूतियों के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण का तरीका बताया गया है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि कोई शेयर एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर 01.06.2016 को शेयर का उद्धृत मूल्य अलग-अलग है, तो योजना के तहत ऐ
उत्तर:	ऐसे मामले में शेयर का उद्धृत मूल्य उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में गणना किया जाएगा, जिसने 01.06.2016 तक शेयर में ट्रेडिंग की उच्चतम मात्रा दर्ज की हो।

■■